न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–3, फतेहपुर

उपस्थितः सुभाष चन्द्र मौर्य .....(एच.जे.एस. यू०पी० 2732)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 53 वर्ष 2024 ई०

CNR No. UPFT010018312024

Filling No.1779/2024

अरूण प्रकाश तिवारी आयु लगभग 33 वर्ष पुत्र संतोष कुमार तिवारी निवासी 545–ए खलील नगर आबूनगर पूर्वी रानी कालोनी, थाना–कोतवाली, जनपद–फतेहपुर।

..... पुनरीक्षणकर्ता।

प्रति

1. उत्तर प्रदेश सरकार ।
2. विजय किशोर आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र अनन्त स्वरूप निवासी ग्राम सांतो धर्मपुर, थाना–असोथर, जिला–फतेहपुर हाल ए मुकीम बाला जी ज्वेलर्स ग्राम सलेमपुर, थाना महाराजपुर, जनपद कानपुरनगर पिन–209402 .....प्रत्यर्थी/विपक्षी।

निर्णय

वर्तमान पुनरीक्षण, अपर सिविल जज, (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–5 फतेहपुर द्वारा परिवाद संख्या10589 सन 2016(मुकदमा नबर 1385 सन 2016 अरूण प्रकाश प्रति विजय किशोर)अरूण कुमार तिवारी बनाम विजय किशोर, अन्तर्गत धारा 138 NI Act, थाना–कोतवाली, जनपद फतेहपुर के मामले में पारित आदेश दिनांकित 24.02.2023 के विरुद्ध योजित की गयी। आलोच्य आदेश दिनांकित 24.02.2023 के द्वारा निगरानीकर्ता/ परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आधार पर खारिज किया गया कि विगत तिथियों में परिवादी के उपस्थित न होने, परिवादी में कोई रूचि न लेने, इन परिस्थितियों में यदि विपक्षी को बतौर अभियुक्त तलब किया जाता है तो अभियुक्त के विरूद्ध आदेशिका जारी करने हेतु पैरवी का अभाव में तलबी का उद्देश्य विफल हो जायेगा। जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण योजित किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ती का अपने पुनरीक्षण के माध्यम से कहना है कि विपक्षी विजय किशोर ने निगरानीकर्ता से व्यवसाय हेतु 4 लाख रूपये की मांग की निगरानीकर्ता ने संतुष्ट होकर उसे 4 लाख रूपये दे दिए। विपक्षी ने निगरानीकर्ता की रक़म 4 लाख रूपये वापसी हेतु दिनांक 01/06/2016 को चेक संख्या 000010 बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौक फतेहपुर दिनांकि 01/08/2016 का हस्ताक्षर कर दे दिया जिसे निगरानीकर्ता ने दिनांक 14/09/2016 को अपने बचत खाता भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा फतेहपुर में उक्त 4 लाख रुपये की प्राप्ति हेतु जमा कर दिया किन्तु विपक्षी के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण उक्त चेक बाउंस हो गया और निगरानीकर्ता को विपक्षी को दी गयी अपनी रकम बैंक के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई । निगरानीकर्ता ने 19/09/2016 व 15/10/2016 को बज़रिये पंजीकृत डाक उक्त चेक के बाउंस होने की सूचना ज़रिये नोटिस विपक्षी को भेजी जिसे विपक्षी ने डाक पाल से मिलकर गलत रिपोर्ट वापस कर दी तब निगरानीकर्ता ने न्यायालय में दिनांक 27/10/2016 को एक वाद धारा 138 एन०आई० एक्ट के अंतर्गत योजित किया जो कभी न्यायालय के खली रहने व स्थानांतरित होने के कारण काफी समय तक लंबित रहा जिसकी पैरवी निगरानीकर्ता स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से बराबर करता रहा है। जुलाई 2022 में निगरानीकर्ता

Digitally signed by SUBHAS CHANDRA MAURYA
Date: 2026.06.22 07:17:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के पिता की तबियत वृद्धावस्था होने के कारण खराब होने लगी निगरानीकर्ता ने अपने अधिवक्ता को सूचित कर अपने पिता के इलाज व तीमारदारी में व्यस्त रहा जिसके कारण निगरानीकर्ता न्यायालय नहीं आ सका बीमारी के कारण निगरानीकर्ता के पिता कि मृत्यु दिनांक 04/12/2022 को हो गयी उनकी मृत्यु के बाद निगरानीकर्ता की माता सदमा व वृद्धावस्था होने के कारण बीमार रहने लगी और निगरानीकर्ता उनके इलाज व देखभाल में व्यस्त हो गया और न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उचित पैरवी ना करने के कारण दिनांक 24/02/2023 को उक्त वाद निगरानीकर्ता कि अनुपस्थिति के कारण धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया जिसकी सूचना भी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने उसे नहीं दी। निगरानीकर्ता को अफवाहन 01/08/2023 को सूचना मिली की उसका वाद न्यायालय में उसकी अनुपस्थिति के कारण खारिज हो चुका है निगरानीकर्ता 02/08/2023 को न्यायालय आया और पत्रावली का पता लगाकर मालूम किया तो मालूम हुआ की वास्तव में निगरानीकर्ता का वाद न्यायालय में दिनांक 24/02/2023 को खारिज हो चुका है निगरानीकर्ता ने पैसे की व्यवस्था कर दिनांक 04/08/2023 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जो उसे दिनांक 07/08/2023 को प्राप्त हुआ तदोपरांत निगरानी योजित करने हेतु रुपयों का प्रबंध कर, न्यायालय में उक्त आदेश धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) / न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट न० 5 के निरस्तीकरण हेतु न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर, प्रार्थना किया कि निगरानीकर्ता के विरुद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांकि 24/02/2023 निरस्त कर निगरानीकर्ता कि निगरानी को स्वीकृत किया जाय।

उक्त कथन के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र,विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आपक्षेपित आदेश दिनांकित 24.02.2023 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 6 ब/2,सूची पत्र कागज संख्या 7 ब के माध्यम से आधार कार्ड कागज संख्या 8 ब,पंजीकृत डाक की रसीद 10 ब,नोटिस बनाम विपक्षी विजय किशोर कागज संख्या 11 ब/1,ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सातों धरमपुर वि०ख०हसवा–फतेहपुर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र कागज संख्या 11 ब/2,दो अदद ट्रैक कंसाइनमेंट(Track Consignment) कागज संख्या 12 ब व 13/2 तथा सूची ब/1 से आठ प्रपत्र जिनमें ब/2 मृत्यु प्रमाणपत्र संतोष तिवारी दिनांकित 04.12.2022 छायाप्रति निर्गत नगर निगम कागज संख्या ब/2,मृत्यु प्रमाणपत्र संतोष तिवारी दिनांकित 04.12. 2022 छायाप्रति निर्गत कुलवन्ती हॉस्पिटल कागज संख्या ब/3,एवं संतोष कुमार के सात अदद दवा इलाज व जॉच के पर्चे एवं मुन्नी तिवारी के जॉच के पर्चे दाखिल किया गया है।

संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अवर न्यायालय के समक्ष परिवादी/निगरानीकर्ता अरूण प्रकाश तिवारी द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी, विपक्षी को काफी अरसे से भली भाँति जानता व पहिचानता है विपक्षी को व्यवसाय हेतु रूपयों की आवश्यकता थी जिस पर विपक्षी ने परिवादी/निगरानीकर्ता से आग्रह किया कि उसको मु० 4,00,000=00 रुपये को आवश्यक्ता है जिस पर परिवादी व्दारा विपक्षी को मु० 4,००,०००/– (चार लाख रूपये)रूपया नकद दिया उक्त रकम समक्ष गवाहान परिवादी व्दारा विपक्षी को दिया और उक्त रकम को वापसी हेतु विपक्षी ने परिवादी को एक चेक संख्या 000010 बैंक आफ इंण्डिया शाखा चौक फतेहपुर अपने खाता संख्या696510310000337 को अपने हस्ताक्षरयुक्त दिनाँक 01–05–2016 को उक्त गवाहान के समक्ष दिया था और विपक्षी व्दारा चेक देते समय परिवादी को पूर्ण विशवास दिलाया कि परिवादी व्दारा उक्त चेक को अपने खाते में जमा कर उक्त भुगतान मु० 4,००,०००/– रूपये प्राप्त कर सकता है। परिवादी व्दारा विपक्षी को दी गयी रकम को वापस पाने हेतु उक्त चेक संख्या 000010 को परिवादी व्दारा अपने बचत खाता नं0 30096275006 बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कृषि विकास शाखा फतेहपुर में दिनांक 14–9–2016 को जमा किया भारतीय स्टेट बैंक शाखा कृषि विकास शाखा फतेहपुर व्दारा उक्त चेक की रकम का भुगतान हेतु जहॉ की चेक है,का भुगतान हेतु सम्बन्धित बैंक आफ इंण्डिया शाखा चौक फतेहपुर भेजा जहाँ से विपक्षी के आते में

धनराशि न होने के कारण उक्त चेक बिना भुगतान के निधियाँ अपयाप्ति की रिपोर्ट के साथ दिनाँक 15–9–2016 को बिना भुगतान वापस कर दी गयी। विपक्षी व्दारा अभी तक उक्त रकम का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया तथा खाते में अपर्याप्त धनराशि न होने के बावजूद भी बैंक विपक्षी व्दारा जारी की गयी। परिवादी व्दारा दिनांक 19.09.2016 एवं 15–10–2016 को जरिये पंजीकृत डाक व्दारा एक नोटिस जरिये जधिवक्ता विपक्षी को भेजी गयी तथा विपक्षी व्दारा उक्त प्रेषित नोटिस को बिना लिये गलत रिपोर्ट के साथ वापस करा दी। विपक्षी व्दारा जानबूझकर खाते में समुचित धनराशि न होने के बावजूद भी परिवादी को चेक प्रदान की। विपक्षी व्दारा परिवादी को धनराशि का भुगतान न होने के कारण धारा 138 N। Act के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध कारित किया है। परिवादी का यह प्रथम परिवाद पत्र है इस परिवाद के अलावा अन्य किती न्यायालय में परिवाद नहीं दाखिल किया गया और न ही खारिज हुआ और न ही विचाराधीन है। उपरोक्त कारणों के आधार पर याचना की गयी कि विपक्षी/ अभियुक्त विजय किशोरको तलब करके दण्डित किया जाय।

निगरानीकर्ता/परिवादी अरूण प्रकाश तिवारी ने अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र, सूची पत्र के माध्यम से नोटिस जरिये विद्वान अधिवक्ता दिनांकित 15.10.2016, पंजीकृत डाक की रसीद दिनांकित 15.10.2016 व 19.09.2016, मूल चेक संख्या 000010 दिनांकित 01.08.2016 मु०चार लाख रूपये, असल चेक वापसी रिपोर्ट दिनांकित 16.09.2016, असल पंजीकृत डाक वापसी, बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं असल जमा पर्ची दिनांक 14.09.2016 तथा मौखिक साक्ष्य बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्वयं का शपथपत्र एवं बयान अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में साक्षी संतोष कुमार तिवारी का शपथपत्र दाखिल किया गया है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.02.2023 का अवलोकन किया गया। जिसमें विद्वान अवर न्यायालय ने व्यक्त किया कि परिवादी अनुपस्थित है। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली बहस तलबी हेतु नियत है। आदेश पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि विगत तिथियों में भी परिवादी उपस्थित नहीं हुआ है। प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद में कोई अभिरूचि शेष नही रह गयी है। इस परिस्थिति में यदि विपक्षी को बतौर अभियुक्त तलब किया जाता है तो अभियुक्त के विरूद्ध आदेशिका जारी करने हेतु पैरवी का अभाव होगा तथा तलबी का उद्देश्य विफल हो जाएगा। परिवाद धारा 203 दं०प्र०सं० में निरस्त किए जाने योग्य है। तद्नुसार निरस्त किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर, प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण योजित किया गया है।

प्रस्तुत पुनरीक्षण दाखिल होने के उपरांत विपक्षी विजय किशोर को नोटिस प्रेषित किए जानेका आदेश पारित किया गया। जिसका अनुपालन निगरानीकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया गया। अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत डाक की रसीद 10 ब, नोटिस बनाम विपक्षी विजय किशोर कागज संख्या 11 ब/1, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सातों धरमपुर वि०ख०हसवा–फतेहपुर द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र कागज संख्या 11 ब/2, दो अदद ट्रैक कंसाइनमेंट(Track Consignment) कागज संख्या 12 ब व 13/2 दाखिल किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12..2023 को विपक्षी संख्या 2 विजय किशोर पर नोटिस का तामीला पर्याप्त मानते हुए पत्रावली सुनवाई में नियत की गयी। किन्तु विपक्षी संख्या 2 विजय किशोर उपस्थित नहीं हुए।

पुनरीक्षणकर्ती के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) फतेहपुर के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

आलोच्य आदेश दिनांकित 24.02.2023 के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता की ओर से मुख्यतः इस आधार पर निगरानी योजित किया गया है कि निगरानीकर्ता ने न्यायालय में दिनांक 27/10/2016 को एक वाद धारा 138 एन०आई० एक्ट के अंतर्गत योजित किया जो कभी न्यायालय के खली रहने व स्थानांतरित होने के कारण काफी समय तक लंबित रहा जिसकी पैरवी निगरानीकर्ता स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से बराबर करता रहा है। जुलाई 2022 में निगरानीकर्ता के पिता की तबियत वृद्धावस्था होने के कारण खराब होने लगी निगरानीकर्ता ने अपने अधिवक्ता को सूचित कर अपने पिता के इलाज व तीमारदारी में व्यस्त रहा जिसके कारण निगरानीकर्ता न्यायालय नहीं आ सका बीमारी के कारण निगरानीकर्ता के पिता कि मृत्यु दिनांक 04/12/2022 को हो गयी उनकी मृत्यु के बाद निगरानीकर्ता की माता सदमा व वृद्धावस्था होने के कारण बीमार रहने लगी और निगरानीकर्ता उनके इलाज व देखभाल में व्यस्त हो गया और न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका। उक्त कथनों की संपुष्टि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में किए गए कथनों तथा सूची ब/1 से आठ प्रपत्र जिनमें ब/2 मृत्यु प्रमाणपत्र संतोष तिवारी दिनांकित 04.12.2022 छायाप्रति निर्गत नगर निगम कागज संख्या ब/2, मृत्यु प्रमाणपत्र संतोष तिवारी दिनांकित 04.12. 2022 छायाप्रति निर्गत कुलवन्ती हॉस्पिटल कागज संख्या ब/3, एवं संतोष कुमार के सात अदद दवा इलाज व जॉच के पर्चे एवं मुन्नी तिवारी के जॉच के पर्चे से होती है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उचित पैरवी ना करने के कारण दिनांक 24/02/2023 को उक्त वाद निगरानीकर्ता कि अनुपस्थिति के कारण धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया जिसकी सूचना भी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने उसे नहीं दी। निगरानीकर्ता को अफवाहन 01/08/2023 को सूचना मिली की उसका वाद उसकी अनुपस्थिति के कारण खारिज हो चुका है। निगरानीकर्ता 02/08/2023 को न्यायालय आया और पत्रावली का पता लगाकर मालूम किया तो मालूम हुआ की वास्तव में निगरानीकर्ता का वाद दिनांक 24/02/2023 को खारिज हो चुका है निगरानीकर्ता ने पैसे की व्यवस्था कर दिनांक 04/08/2023 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जो उसे दिनांक 07/08/2023 को प्राप्त हुआ तदोपरांत निगरानी योजित करने हेतु रुपयों का प्रबंध कर, न्यायालय में उक्त आदेश धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) / न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट न० 5 के निरस्तीकरण हेतु न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत।

उक्त कथनों के संदर्भ में न्यायालय के अभिमत में निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों में उपस्थित न हो पाने एवं निगरानी न्यायालय के समक्ष विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.02.2023 के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी योजित करने में जो विलम्ब कारित हुआ उसका जो स्पष्टीकरण एवं कारण बताया गया है वह एक संभावित व उचित कारण प्रतीत होता है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने पारित आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.02.2023 में अंकित किया कि- परिवादी अनुपस्थित है। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली बहस तलबी हेतु नियत है। आदेश पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि विगत तिथियों में भी परिवादी उपस्थित नहीं हुआ है। प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद में कोई अभिरूचि शेष नही रह गयी है। इस परिस्थिति में यदि विपक्षी को बतौर अभियुक्त तलब किया जाता है तो अभियुक्त के विरूद्ध आदेशिका जारी करने हेतु पैरवी का अभाव होगा तथा तलबी का उद्देश्य विफल हो जाने के आधार पर परिवाद को धारा 203 दं०प्र०सं० में निरस्त कर दिया। उक्त संदर्भ में विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेश पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता/ परिवादी ने नियत दिनांक 05.12.2022 को आदेश पत्र पर अंकित किया कि,'' अब कोई साक्ष्य नहीं पेश करना है।'' जिसपर अवर न्यायालय की पत्रावली

में दिनांक 10.01.2023 वास्ते साक्ष्य बयान अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता नियत की गयी। दिनांक 10.01.2023 को कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर दिनांक 24.02.2023 नियत की गयी एवं उक्त तिथि पर विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.02.2023 पारित किया जिसमें अंकित किया कि,'' आदेश पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि विगत तिथियों में भी परिवादी उपस्थित नहीं हुआ है।'' जबकि महेज परिवादी नियत तिथि दिनांक 10.01.2023 एवं दिनांक 24.02.2023 को ही उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय के अभिमत में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.02.2023 विधि विरूद्ध होने के कारण आपस्त किए जाने योग्य एवं दाण्डिक निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

पुनरीक्षणकर्ता का दाण्डिक पुनरीक्षण/निगरानी स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.02.2023 अपास्त किया जाता है एवं विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशत किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में पुनः सुनकर विधिनुकूल, विधिसम्मत आदेश पारित करें।

इस निर्णय की प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय का अभिलेख तत्काल विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित किया जाये। निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक: 19.06.2026

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03,
फतेहपुर।
आई०डी०–UP2732

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 19.06.2026

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03,
फतेहपुर।
आई०डी०–UP2732